अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या ......104......./2016(अन्तर्गत धारा 4(h),BLR Act,1950)

नोटिस

बनाम समसू खॉं S/o नासी खॉं
सा- [struck: कोड़िहा] रहेला।

एतद् नोटिस द्वारा आपाको सूचित किया जाता है कि मैजा रहेला......., थाना नं0........ खाता नं0......41..... खेसरा नं0.....14/1..... रकबा.......1.00 ए. से संबंधित आपके नाम से हो0 नं0........ पंजी भाग के पृष्ठ 26/I.........पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है ।

अतएव आप उक्त संबंध मे दिनांक 09/1/25 .... को समय 11:00 बजे पूर्वाहन मे उक्त रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमीदार द्वारा निर्गत जमीदारी रसीदो, फार्म सरकार मे जमीदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं अ साक्ष्यो की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तूत करे ।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति मे समझा जायेगा कि उक्त संबंध मे आपको कुछ नही क तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुचते हुए दर्ज जमाबंदी के मे युक्ति युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जाएगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

तिथि :

मुहर

स्थान :

3/12/24

अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू

आदेश की क्र0स0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
	2	3

5/01/25

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि "मौजा–नौडिहा में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं0–02, प्लौट सं0–106/457 रकबा– 0.93 ए0 पर हदीसुन बीबी पति जलील मियां का के द्वारा जोत–कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं रंगभरी नक्शा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया। जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी के बंदोबस्ती वाद सं0 154/2002–03 के अंतर्गत दिनांक 11.07.03 को मौजा–नौडिहा थाना सं0–346 के अन्तर्गत उक्त खाता सं0– 02, प्लौट सं0– 106/457 रकबा–0.93 ए0 की बंदोबस्ती उक्त रैयत हदीसुन बीबी पति जलील मियां के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा–नौडीहा के मांग पंजी II के पेज सं0 134/1 पर दर्ज होकर वर्ष 2009–10 तक रसीद निर्गत है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।"

अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर संदेहास्पद या अवैध जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

05/01/25

अंचल अधिकारी,
मनातू।

05/01/25

अंचल अधिकारी,
मनातू।

अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या ......92....../2016(अन्तर्गत धारा 4(h),BLR Act,1950)

नोटिस

बनाम हबीबुन बीबी W/o जलिल मियाँ
सा - नौडीहा

एतद् नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मैजा ..नौडीहा.. थाना नं0....... खाता नं0....02.... खेसरा नं0..106/457..रकबा..0.93..... से संबंधित आपके नाम से हो0 नं0....... पंजी भाग के पृष्ठ ..134/I.. पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है ।

अतएव आप उक्त संबंध मे दिनांक ..09/01/25.. को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न मे उक्त रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमीदार द्वारा निर्गत जमीदारी रसीदो, फाम सरकार मे जमीदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं साक्ष्यो की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूष्टि करता हो, के स अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तूत करे ।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति मे समझा जायेगा कि उक्त संबंध मे आपको कुछ नही तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुचते हुए दर्ज जमाबंदी मे युक्ति युक्त निर्नय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जाएगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

तिथि : मुहर

स्थान :

ह0 31/12/24

अंचल अधिकारी

मनातू, पलामू

सेवा में,

अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू।

विषय:- अवैध जमाबंदी केश नं० 97/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मौजा-नौडिहा जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जाँच किया, जाँच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं० 02, प्लौट-106/457 रकबा- 0.93 ए० पर हदीसुन बीबी w/o जलील मियाँ के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा जाँच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा, ट्रेसरी नक्शा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया, जिससे पता चलता है कि अनुमंडल पदाधिकारी के बंदो० वाद सं० 154/2002-03 के अन्तर्गत दिनांक- 11/07/03 को मौजा- नौडिहा - थाना-नं०- 346 के अन्तर्गत उक्त खाता नं० 02, प्लौट -106/457 रकबा- 0.93 ए० की बंदोबस्ती उक्त रैयत सा० हदीसुन बीबी पति- जलील मियाँ के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा - नौडिहा के माँग पंजी-II के पेज नं० 134/2 पर दर्ज होकर वर्ष - 2009-10 तक रसीद निर्गत है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।

विश्वासभाजन
अनिल कुमार रजक
रा० उ० नि०
हल्का - III

23/1/24
PS Et Cf

Digitally signed by MADAN KUMAR SUMAN
Date: 2025.01.29 12:48:02 +05:30
Location: 192.168.84.97